2020/00151

बृजमोहन (मृतक) का0मु0 ओमप्रकाश बनाम श्रीमती कान्ति देवी

अपील संख्या : 2020/00151

21.10.2020	अपील विद्वान अभिभाष श्री नरेन्द्र गुप्ता द्वारा पेश की गई । रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से जरिये विद्वान अभिभाषक श्री अविनाश ठाकुर केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । बहस अपील एडमिशन पर सुनी गई । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावे । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रारम्भ में ही इस बाबत् सहमति व्यक्त की कि प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त सहखातेदारों का हिस्सा पृथक किये बिना वादिनी के खाते में 02 विशिष्ट खसरा नम्बर की आराजी दर्ज करने का आदेश पारित किया है । प्रतिवादीगण को सम्मन की व्यक्तिगण तामील नहीं करवायी गई उनके खिलाफ एक तरफा कर्यवाही करने में त्रुटि की है । दावा दिनांक 28.07.2014 को अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज हुआ था । दिनांक 11.11.2014 को अपीलान्ट को रेस्टोरेशन की सूचना दिये बिना इसको रेस्टोर कर दिया गया । नम्बर पर लेने के बाद प्रतिवादी कम 03 को तलब किये बिना, प्रतिवादी कम 1 व 2 के कायममुकामान को तलब किये बिना अग्रिम कार्यवाही की गई । प्रतिवादीगण को एवं उनके वारिसान को जवाबदावा एवं शहादत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वादिनी प्रतिवादीगण की सगी बहिन थी फिर भी उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । प्रतिवादी संख्या 1 की दिनांक 14.11.2007 को मृत्यु हो चुकी थी। प्रतिवादी संख्या 2 की दिनांक 15.12.2018 को मृत्यु हो चुकी थी । प्रतिवादी संख्या 03 की दिनांक 04.02.2020 को मृत्यु हो चुकी थी फिर भी कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने लॉक डाउन से पूर्व निर्णय पारित किया है और लॉक डाउन के उपरान्त दिनांक 08.10.2020 को पटवारी हल्का के बताने पर निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई । ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1957 पेज 598, आरएलडब्ल्यू 1988 (2) पेज 101, आरआरटी 2017 (2) पेज 1047, एआईआर 1960 (मद्रास) पेज 391 उद्वरत की ।

केवियटकर्ता के लायक अधिवक्ता ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड करने में सहमति व्यक्त की ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री में सिर्फ वादिनी के हिस्से को पृथक किया है, जबकि एआईआर 1960 (मद्रास) पेज 391 में यह प्रतिपादित किया गया है कि समस्त सहखातेदारों का हिस्सा पृथक किया जाना अनिवार्य है । इसके अलावा प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 3 की मृत्यु के बावजूद उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय **Nullity** होता है । आरआरटी 2017 (2) पेज 1047 भी यहाँ चस्पा होता है। संलग्न आदेशिका के अनुसार दावा दिनांक 28.07.2014 को अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया गया और दिनांक 11.11.2014 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये बिना दावे को रेस्टोर किया गया है, जबकि रेस्टोरेशन के पूर्व प्रतिवादीगण को नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रकरण को नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा